

श्री एक्सल बसों से अतिरिक्त टोल वसूली अवैध : हाईकोर्ट

टोल कंपनी को 11 करोड़ रुपये लौटाने और 25 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल-देवास चार लेन मार्ग पर श्री एक्सल बसों से अतिरिक्त टोल वसूली को अवैध करार देते हुए टोल कंपनी को अवैध करार देते हुए टोल कंपनी को प्रभावित वाहन मालिकों और परिवहन संचालकों को लगभग 11 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।

साथ ही कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मेसर्स देवास-भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका

खारिज करते हुए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 21 मई, 2025 के आदेश को बरकरार रखा। निगम ने जांच में पाया था कि तीन धुरी वाली बसों को बहुधुरी मालवाहक वाहन की श्रेणी में रखकर अधिक टोल वसूला गया, जो नियमों के विपरीत है। सुनवाई के दौरान

कंपनी ने तर्क दिया कि स्वचालित टोल भुगतान प्रणाली में तकनीकी कारणों से तीन धुरी बसों को बहुधुरी वाहन की श्रेणी में दर्ज किए जाने के कारण अतिरिक्त टोल स्वतः कटता रहा और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि

स्वचालित टोल भुगतान प्रणाली केवल भुगतान का माध्यम है। वाहन की श्रेणी और टोल की दर का निर्धारण रियायत समझौते तथा सरकारी अधिसूचना के अनुसार ही किया जाएगा। न्यायालय ने 30 जून, 2007 के रियायत समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें बस

और बहुधुरी मालवाहक वाहन की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि संगणक प्रणाली में गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त टोल वसूला गया है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी टोल संचालक को होगी। अप्रैल 2022 से जिन वाहन मालिकों और परिवहन संचालकों से अतिरिक्त राशि वसूली गई है, उन्हें नियमानुसार धनवापसी की जाएगी।

जेल महानिदेशक ने शाजापुर जिला जेल का किया निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश के जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के महानिदेशक डॉ. वरुण कपूर ने शाजापुर जिला जेल का निरीक्षण कर सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और बंदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई तथा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का गहन अवलोकन किया और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।

डॉ. कपूर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेलों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं का प्रभावी और सतत पालन सुनिश्चित करने के साथ उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी भी ली। बंदियों ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात कही तथा जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक और कल्याणकारी प्रयासों की सराहना की।

महानिदेशक ने जेल में बंदियों



के सुधार और पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा व्यवस्थाओं में निरंतर गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति उपरांत अशोक स्तंभ, स्टार और फीते लगाकर सम्मानित किया गया।

निरीक्षण के बाद डॉ. कपूर ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत जेल परिसर में पौधारोपण किया और अधिकारियों-कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला, सर्फिल जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू, जिला जेल अधीक्षक डी.के. पगारे सहित जेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि तथा बंदी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने विक्रम-1 की सफलता को बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के पहले निजी प्रक्षेपण यान 'विक्रम-1' के सफल ऑर्बिटल प्रक्षेपण को भारत के अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 की सफलता नए भारत के संकल्प, युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा

और आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि इससे वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहचान और मजबूत होगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण से पेड और ऑन-डिमांड स्पेस लॉन्चिंग सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश, नवाचार और नई संभावनाओं का विस्तार होगा।

बारिश की आस में गर्धों को खिलाए गए गुलाब जामुन

प्रदेश के 44 जिलों में वर्षा का अलर्ट, डिंडोरी और उमरिया में भारी वर्षा की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में शनिवार को भोपाल और नर्मदापुरम के कई क्षेत्रों में बूंदबांदी के साथ हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है। डिंडोरी और उमरिया में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दाब क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसके साथ सक्रिय ट्रोंकना के नेमी मिलने के कारण आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।



मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलौराजपुर, धार, बुरहानपुर, बुंदेल, खंडवा, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी,

नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं पांडुरंगा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, अनुपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी वर्षा वाला मौसम

उपभोवता आयोग सदस्यों के वेतन पर शासन को उच्च न्यायालय के निर्देश

► 60 दिन में उचित निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को अवगत कराने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के नियमित वेतन और बकाया राशि के मामले में राज्य शासन को उचित एवं तर्कसंगत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 19 मई 2025 के आदेश के अनुरूप 60 दिन के भीतर निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को विधिवत अवगत कराया जाए।

यह आदेश आयोग के सदस्य अरुण प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी लगातार कार्यरत रहने के बावजूद आयोग के सदस्यों को नियमित वेतन और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस

प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आज से
नप्र, भोपाल: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) भर्ती-2026 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड तथा जिला विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज अपलोड करने के अगले दिन अभ्यर्थियों को स्वयं चयनित दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर उपस्थित होकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

संबंध में शासन को अभ्यावेदन भी दिए गए, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति विशाल धगत ने अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए याचिका का निस्तारण किया।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह सभी आवश्यक दस्तावेज तथा न्यायालय के आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही खाद्य विभाग के सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग सदस्यों के वेतन और बकाया एरियर के संबंध में 60 दिन के भीतर विचार कर निर्णय लें तथा उससे याचिकाकर्ता को अवगत कराएं। न्यायालय के इस आदेश से राज्यभर के उपभोक्ता आयोग के सदस्यों में उत्साह का वातावरण है।

सूबेदार (स्टेनो) और सहायक उपनिरीक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मप्र कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में सूबेदार (स्टेनो) एवं सहायक उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 500 पदों के लिए आयोजित भर्ती में 438 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि न्यायालय के आदेश के कारण 13 प्रतिशत पदों का परिणाम फिलहाल लंबित रखा गया है। अंतिम परिणाम के अनुसार 88 अभ्यर्थियों का चयन सूबेदार (स्टेनो) तथा 350 अभ्यर्थियों का चयन सहायक उपनिरीक्षक पद के लिए हुआ है। सूबेदार (स्टेनो) परीक्षा में जबलपुर के अपूर्व शर्मा ने अनारक्षित वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि भोपाल के ऋषि रंधवे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सहायक उपनिरीक्षक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। चयन सूची के

है। सरकार का यह नवाचार देश में अपनी तरह की अनूठी पहल माना जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों

को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

संस्कार, शिक्षा एवं प्रेरणा का आधार बनेगा गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों में अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान तथा भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परम्पराएं विकसित करने के लिए हम विद्यालयों में सभी प्रबंध कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 29 जुलाई तक 'गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा' आयोजित किया जा रहा है।

समागहों के दौरान आचार्य समय सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रथम आशीर्वाचन देते हुए कहा कि धर्म की प्रभावना निर्मल भावनाओं से होती है। उन्होंने कहा कि शुद्ध भाव ही जीवन और भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवीन जिनालय की आधारशिला रखी गई तथा आचार्य विद्यासागर वाटिका का लोकार्पण किया गया।

समागहों के दौरान आचार्य समय सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रथम आशीर्वाचन देते हुए कहा कि धर्म की प्रभावना निर्मल भावनाओं से होती है। उन्होंने कहा कि शुद्ध भाव ही जीवन और भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवीन जिनालय की आधारशिला रखने का मुख्य सौभाग्य नेमीचंद-विनोद कटनेरा (आरएनजी परिवार) को प्राप्त हुआ। समिति के प्रवक्ता अंशुल जैन



नवीन जिनालय की आधारशिला रखी, धर्म की प्रभावना पर दिया संदेश

ने बताया कि आचार्य संघ के चातुर्मास को लेकर पूरे जैन समाज में उत्साह का वातावरण है। भोपाल की सीमा में प्रवेश के साथ ही श्रद्धालुओं ने जयघोष के बीच आचार्य श्री का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि रविवार को नारायण नगर जैन मंदिर से विद्योदय तीर्थ तक आचार्य समय सागर महाराज संसंध की भव्य अगवानी शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह शोभायात्रा रानी कमलानपति रेलवे स्टेशन के सामने

स्थित विद्योदय तीर्थ पहुंचेगी, जहां गुरु-शिष्यों का भावपूर्ण मिलन होगा। आचार्य श्री की अगवानी उनके शिष्य मुनि निर्णय सागर महाराज, निर्यापक मुनि संभव सागर महाराज तथा मुनि विश्रुत सागर महाराज संसंध करेंगे।

शोभायात्रा में शहर की विभिन्न जैन मंदिर समितियां, महिला मंडल, पाठशाला परिवार, सामाजिक संगठन और युवा समूह भाग लेंगे।

भोपाल में आज लेजर एवं सौंदर्य चर्म रोग सम्मेलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट्स, वेनेरियोलॉजिस्ट्स एंड लेप्रोलॉजिस्ट्स तथा भोपाल डर्मेटोलॉजी सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार, 19 जुलाई को भोपाल में एक दिवसीय 'भोपाल लेजर एवं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी समिट' का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित मध्य भारत के विभिन्न

शहरों से 200 से अधिक चर्म रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। आयोजन समिति के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य चर्म रोगों के उपचार में अत्याधुनिक लेजर तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर विचार-विमर्श करना तथा युवा चर्म रोग विशेषज्ञों को आधुनिक लेजर और सौंदर्य उपचार प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

समर्थन

एथेनॉल के विरोध को लेकर किसान संघ का पलटवार

अफवाहें किसानों और देश के हितों के विरुद्ध : साई रेड्डी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एथेनॉल संबंधी बयानों के समर्थन में भारतीय किसान संघ खुलकर सन्तान आया है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साई रेड्डी ने कहा कि एथेनॉल के संबंध में गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की अफवाह फैलाने वाले सामने मिल जाएं तो उन्हें चपल से मारेंगे।

रेड्डी ने कहा कि एथेनॉल का विरोध किसानों और देश, दोनों के



हितों के विरुद्ध है। उनके अनुसार एथेनॉल के उपयोग से किसानों की आय बढ़ती है, विदेशी तेल पर देश

की निर्भरता घटती है और प्रदूषण में भी कमी आती है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन में हजारों

लीटर पानी खर्च होने का दावा पूरी तरह भ्रामक है।

उन्होंने बताया कि गन्ने का पूरा रस निकालने के लिए केवल सीमित मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कारखानों में प्रयुक्त पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है। ऐसे में एथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक पानी की खपत होने की बात तथ्यहीन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एथेनॉल गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से तैयार किया जाता है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य

मिलता है। उन्होंने भविष्य में 100 प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी बताई। वाहनों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण तकनीकी खराबी आने के सवाल पर रेड्डी ने कहा कि देश में पिछले पांच वर्षों से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादन में अत्यधिक पानी की खपत होने की बात तथ्यहीन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एथेनॉल गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से तैयार किया जाता है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य